क्रम संख्या–96 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 24 जून, 2019 ई0

आषाढ़ 03, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–1

संख्या 516/IV(1)/01(61)/2015टी0सी0

देहरादून, 24 जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) की धारा 540 की उपधारा (2) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशन् के पश्चात् उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) की धारा 113 की उपधारा 2 के खण्ड (क) तथा खण्ड (छ) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) की धारा 69 (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर पूर्व में जारी सभी विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित सेवा में नियुक्ति कार्मिकों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2019

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. इस नियमावली में सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के सभी पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से स्थानीय नगर निकाय केन्द्रीयित सेवा में समूह "क" एवं "ख" के कार्मिकों के सम्बन्ध में "राज्यपाल" तथा समूह "ग" के कार्मिकों के सम्बन्ध में "निदेशक शहरी विकास निदेशालय अभिप्रेत है;

(ख) "स्थानीय नगर निकाय केन्द्रीयित सेवाओं" से इस नियमावली के भाग 02 के नियम 4 में उल्लेखित सेवायें अभिप्रेत है;

(ग) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(घ) "नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों की "श्रेणी" से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर समय–समय पर घोषित श्रेणियां अभिप्रेत है;

(ड.) "संविधान" से 'भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज)"निगम" से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 4 के अधीन गठित नगर निगम अभिप्रेत है;

(झ)"नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत" से उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अभिप्रेत है;

(ञ) "निदेशक" से निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ट) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के अधीन पालिका केन्द्रीयित सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" से पालिका केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा नियमों के अन्तर्गत नियमित चयन के परिणामस्वरूप की गयी हो;

(ड) "स्थानीय नगर निकाय" से उत्तराखण्ड राज्य की समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत अभिप्रेत है;

(ढ) "सीमान्त जिलो के स्थानीय निकाय" से पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जिलों के स्थानीय निकाय अभिप्रेत है;

(ण) "पर्वतीय जिलों के स्थानीय निकाय" से रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोडा, नैनीताल (न0नि0 हल्द्वानी, न0पा0प0 रामनगर, न0प0 कालाढूंगी व लालकुऑ को छोडकर), चम्पावत (न0पा0प0 टनकपुर, न0पा0 बनवसा को छोडकर), पौडी (न0पा0प0कोटद्वार, न0प0स्वर्गाश्रम जौंक को छोडकर), टिहरी (न0पा0प0 मुनि की रेती को छोडकर), देहरादून (न0नि0 देहरादून, न0पा0प0 ऋषिकेश, विकासनगर व डोईवाला, न0पं0 हरबर्टपुर व सेलाकुई को छोडकर) अभिप्रेत है;

Scanned with CamScanner

भाग – 2 संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय,

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में दी गयी है:

परन्तु यह कि:

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

(3) स्थानीय निकाय को केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन वर्तमान पदों में से किसी पद को अथवा किसी ऐसे पद को, जो भविष्य में सृजित किया जाय, को समाप्त करने तथा सृजित पदों से अधिक नवीन पदों के सृजन का अधिकार एवं सृजित पदों से अधिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा।

भाग 3 – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. स्थानीय निकाय केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के निम्न पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा:–

(1) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (प्रवर) सेवा–

(क) नगर आयुक्तः नगर निगम श्रेणी–1 व 2 के पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जायेगी । नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत 50 प्रतिशत पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों को तैनात/नियुक्त किया जायेगा। नगर निगम श्रेणी–3 के अंर्तगत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर, ऐसे स्थाई अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक के पद पर, ऐसे स्थाई उप नगर आयुक्त/उप निदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) उप नगर आयुक्त/उप निदेशक के पद पर, ऐसे स्थाई सहायक नगर आयुक्त/सहायक निदेशक/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–01 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को केन्द्रीयित प्रशासी (प्रवर) सेवा में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) सहायक नगर आयुक्त/सहायक निदेशक/ अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1, के 50 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदों पर मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा

Scanned with CamScanner

पूर्ण कर ली हो अथवा केन्द्रीयित प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा (अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2 एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत) के पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।

(2) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (अधीनस्थ सेवा)–

(क) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–02 के पदों पर, ऐसे स्थाई अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–03 के पदों पर, ऐसे स्थाई अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत के शत–प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जायेंगे।

(3) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा –

(क) अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर, ऐसे स्थाई अधिशासी अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा केन्द्रीयित अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा (अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता (सिविल) के पदों पर कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) अधिशासी अभियन्ता के पदों पर, ऐसे स्थाई सहायक अभियन्ता, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को केन्द्रीयित अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा के रुप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगीः–

(एक) 50 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(दो) 42 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति द्वारा ऐसे स्थाई अवर अभियन्ता (सिविल) तथा अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) 08 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति ऐसे स्थाई अवर अभियंता (सिविल) एवं अवर सहायक अभियन्ता सिविल में से, जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं जो नियम 8(3) में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता रखते हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।

Scanned with CamScanner

सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना अवर अभियंता के पद पर की गयी सेवा, जहां पर अवर सहायक अभियंता के पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, वहां अवर अभियंता तथा अवर सहायक अभियंता के पद पर की गयी सेवा के आधार पर की जायेगी।

(चार) सहायक अभियन्ता (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पद पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम में नियमित रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल) से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।

(4) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा–

(क) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–499 दिनांक 17.12.2015 के प्राविधानानुसार कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य ग्रेड वेतन रू0 4800/– में सृजित अपर सहायक अभियन्ता का पद पदोन्नति का नहीं है। कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात ही यथा–नियम प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में सहायक अभियन्ता ग्रेड पे रू0 5400/–अनुमन्य होगा।

(ख) **अवर अभियंता(सिविल) के पद पर चयन–**

(क) 90 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा ऐसे पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अर्हताधारी स्थायी मानचित्रकार से, जिन्होने पालिका (केन्द्रीयत) अभियंत्रण सेवा में आने का विकल्प दिया हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।

(ग) **अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पद पर चयन**

अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पद पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम में नियमित रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल) से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।

(5) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लोक स्वास्थ्य सेवा:–

(क) सहायक नगर आयुक्त (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) के पदों पर, ऐसे स्थाई जोनल सफाई अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) जोनल सफाई अधिकारी के पदों पर, ऐसे स्थाई मुख्य सफाई निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

Scanned with CamScanner

(ग) मुख्य सफाई निरीक्षक के पद पर, ऐसे स्थाई सफाई निरीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उत्तराखण्ड (केन्द्रीयित) लोक स्वास्थ्य सेवा के पदों पर का से कम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) सफाई निरीक्षक के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:–

(क) 66.67 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 33.33 प्रतिशत पदों पर, ऐसे पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के स्थायी पर्यावरण पर्यवेक्षक, जिन्होंने पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित होने का विकल्प दिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा केन्द्र/राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन/सैनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा अर्हताधारी में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।

(6) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लेखा सेवा–

(क) लेखाधिकारी ग्रेड–01 के पदों पर, ऐसे सहायक लेखाधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) सहायक लेखाधिकारी के पदों पर, ऐसे लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) लेखाकार के पदों पर, ऐसे स्थाई सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को केन्द्रीयित लेखा सेवा के पदों पर न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) पालिका सहायक लेखाकार के 50 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें तथा 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे स्थायी लेखा लिपिकों में से, जिन्होंने पालिका लेखा सेवा में सम्मिलित होने का विकल्प दिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची के आधार पर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(7) उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) मिनीस्ट्रीयल सेवा –

(क) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर, ऐसे स्थाई प्रशासनिक अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

Scanned with CamScanner

(ख) प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, ऐसे स्थाई प्रधान सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) प्रधान सहायक के पद पर, ऐसे स्थाई वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) वरिष्ठ सहायकों के शत–प्रतिशत पदों पर पदोन्नति पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे स्थाई कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने मिनिस्ट्रीयल सेवा में सम्मिलित होने का विकल्प दिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची के आधार पर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ङ) अधीनस्थ पदों से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

(8) – उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा–

(क) सहायक नगर आयुक्त (कर एवं राजस्व) के शत–प्रतिशत पदों पर पदोन्नति ऐसे स्थाई कर निर्धारण एवं राजस्व अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ख) कर निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी के पदों पर, ऐसे स्थाई कर एवं राजस्व अधीक्षक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) कर एवं राजस्व अधीक्षक के पदों पर, ऐसे स्थाई कर एवं राजस्व निरीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को केन्द्रीयित राजस्व सेवा के पदों पर न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) कर एवं राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनः–

(क) 50 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 50 प्रतिशत पद, पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे स्थाई कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहर्रिरों में से, जिन्होंने पालिका राजस्व सेवा में सम्मिलित होने का विकल्प दिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये तथा आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। दिव्यांगों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

Scanned with CamScanner

भाग–4 अर्हता

राष्ट्रीयता

7. केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी;

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) से संबन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः – जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही अस्वीकार किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. **सीधी भर्ती**–पालिका केन्द्रीयित सेवा में विभिन्न पदों की सीधी भर्ती हेतु संवर्गानुसार शैक्षिक अर्हता निम्नवत् होंगीः–

(i) **अनिवार्य अर्हता**

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1	सहायक निदेशक/ सहायक नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
2	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
3	सहायक अभियन्ता (सिविल)	केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में बी0टेक0 या बी0ई0 अथवा जिसने इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) से सिविल में सेक्शन 'ए' और 'बी' में एसोसिएट मेम्बर परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो।
4	अवर अभियन्ता (सिविल)	केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी प्राविधिक संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ।

Scanned with CamScanner

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
5	सफाई निरीक्षक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0 एस0 सी0 उपाधि तथा केन्द्र/किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन/सेनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर/हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा।
6	सहायक लेखाकार	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बी0 कॉम उपाधि।
7	कर एवं राजस्व निरीक्षक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

(ii) अधिमानी अर्हता:– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

9. आयु के सम्बन्ध में समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर भर्ती हेतु लागू होंगे।

चरित्र

10. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह पालिका केन्द्रीयित सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी: –संघ या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या स्थानीय निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

11. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु, यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से मुक्त किया जा सकेगा।

शारीरिक योग्यता

12. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को पालिका केन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

भाग–5 भर्ती प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

13. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की सूचना, सहायक लेखाकार के पदों को छोड़कर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को देगा;

Scanned with CamScanner

परन्तु यह कि सहायक लेखाकार के पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14. (क) जहां सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जानी है– उत्तराखण्ड पालिका प्रशासी (प्रवर) सेवा के अन्तर्गत सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 एवं उत्तराखण्ड पालिका प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित/मुख्य परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम–6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित/मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित/मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त हुए कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंक बराबर हों तो लिखित/मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक, न्यूनतम एक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। उक्त सूची की वैधता एक वर्ष तक ही मान्य होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्क्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये जायेंगे।

(5) अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थियों को मेरिट समान होने पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् श्रेण्ठता क्रम में प्रथम स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता धारित करते है, तब नियम 14(क)(4) में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

(ख) जहां सीधी भर्ती साक्षात्कार परीक्षा द्वारा की जानी है–उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लोक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक एवं उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अन्तर्गत कर एवं राजस्व निरीक्षक के पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से साक्षात्कार परीक्षा द्वारा की जानी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

(1) चयन के लिए विचार करने हेतु आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन मंगाये जायेंगे। आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) नियम–6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जितने वह उचित समझे।

Scanned with CamScanner

(3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित किये जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, न्यूनतम एक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगें। उक्त सूची की वैधता एक वर्ष तक ही मान्य होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(4) अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थियों को मेरिट समान होने पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् श्रेष्ठता क्रम में प्रथम स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता धारित करते हैं तब नियम–14(ख)(3) में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

15. उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लेखा सेवा के अन्तर्गत पालिका सहायक लेखाकार के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

जहॉ सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है–उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लेखा सेवा के अन्तर्गत पालिका सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–पालिका सहायक लेखाकार के पद पर चयन हेतु 100–100 अंकों के दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होंगे, जिसमें से प्रथम प्रश्नपत्र मिनिस्ट्रीयल पदों के निर्धारित पाठ्क्रम तथा द्वितीय प्रश्नपत्र बी कॉम स्तर के पाठ्क्रम एवं कम्पयूटर ओ लेवल के सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्क्रम पर आधारित होगा।

लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत आने वाले समूह ख–सहायक नगर आयुक्त/सहायक निदेशक/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1, सहायक अभियंता (सिविल) अवर अभियंता (सिविल) तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत आने वाले समूह ग सफाई निरीक्षक, कर एवं राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयन (प्रक्रिया) नियमावली 2003 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

लोक सेवा की परिधि से बाहर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (क) **लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के** समूह "क" एवं "ख" के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक, उप नगर आयुक्त/उप निदेशक, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक नगर आयुक्त (ठोस अपशिष्ठ प्रबन्ध) जोनल सफाई अधिकारी, लेखाधिकारी, ग्रेड–1, सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त (कर एवं राजस्व) तथा कर निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(एक)	सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
(तीन)	निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
(चार)	संयुक्त सचिव/ उप सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य

(ख) लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह "ग" के पदों अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3, मुख्य सफाई निरीक्षक, लेखाकार, प्रधान सहायक, कर एवं राजस्व अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें:–

Scanned with CamScanner

		अध्यक्ष
(एक)	निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
(दो)	अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
(तीन)	उप निदेशक/वित्त अधिकारी/सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
(चार)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।	

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पालिका केन्द्रीयित सेवा के पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता/पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जांये। चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुतियां चयन प्रक्रिया नियमावली, 2009 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6

नियुक्ति परिवीक्षा,स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता तथा स्थानान्तरण

नियुक्ति

19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें से नियम–14, 15, 16, 17 अथवा 18 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम मे यथास्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉं सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पदनाम किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न की अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

Scanned with CamScanner

स्थायीकरण 21. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 22. सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से यथा संशोधित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार अवधारित की जायेगी। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत समस्त नियमावली एवं शासनादेश उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

स्थानान्तरण 23. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों के तहत पालिका केन्द्रीयित सेवा के किसी कार्मिक को एक निकाय से दूसरी निकाय में स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(2) कोई पालिका केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी का स्थानान्तरण करने का निवेदन पालिका संघटित करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित करके कर सकती है।

भाग–7 वेतन आदि

वेतनमान 24. पालिका केन्द्रीयित सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

परिवीक्षा के दौरान वेतन 25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति; यदि स्थायी पालिका सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पालिका के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान, करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8 – अन्य प्राविधान

अधियाचन 26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते हों, पालिका केन्द्रीयत सेवाओं में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्य लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

Scanned with CamScanner

व्यावृति 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–"क"
(नियम–04 देखिये)

क्र0सं0	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	आयु सीमा	भर्ती का स्त्रोत
(1)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (प्रवर) सेवा					
	(क) नगर आयुक्त	02	"क"	37400–67,000 ग्रेड पे0–8,700/–		पदोन्नति के द्वारा।
	(ख) अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक	04	"क"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–7,600/–		पदोन्नति के द्वारा।
	(ग) उप नगर आयुक्त/उप निदेशक	09	"क"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–6,600/–		पदोन्नति के द्वारा।
	(घ) सहायक नगर आयुक्त/सहायक. निदेशक	13	"ख"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–5,400/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/पदोन्नति
	(ड.) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1	07	"ख"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–5,400/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/पदोन्नति
(2)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा					
	(क) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2	13	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,800/–		पदोन्नति
	(ख) अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3	25	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,200/–		पदोन्नति
	(ग) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	42	"ग"	5,200–20,200 ग्रेड पे0–2,800/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	आयु सीमा	भर्ती का स्त्रोत
(3)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा					
	(क) अधीक्षण अभियन्ता	01	"क"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–7,600/–		पदोन्नति
	(ख) अधिशासी अभियन्ता	07	"क"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–6,600/–		पदोन्नति
	(ग) सहायक अभियन्ता (सिविल/इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल)	19	"ख"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–5,400/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/ पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति
(4)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा					
	(क) अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	09	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,800/–		
	(ख) अवर अभियन्ता (सिविल)	56	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,600/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/ पदोन्नति
	(ग) अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल)	11	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,600/–		प्रतिनियुक्ति
(5)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लोक स्वास्थ्य सेवा					
	(क) सहायक नगर आयुक्त (ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन)	02	"ख"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–5,400/–		पदोन्नति
	(ख) जोनल सफाई अधिकारी	08	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,800/–		पदोन्नति
	(ग) मुख्य सफाई निरीक्षक	22	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0 – 4,200/–		पदोन्नति
	(घ) सफाई निरीक्षक	113	"ग"	5,200–20,200 ग्रेड पे–2800/	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/ पदोन्नति

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	आयु सीमा	भर्ती का स्त्रोत
(6)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लेखा सेवा					
	(क) लेखाधिकारी (ग्रेड–1)	02	"ख"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–5,400/–		पदोन्नति
	(ख) सहायक लेखाधिकारी	04	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,800/–		पदोन्नति
	(ग) लेखाकार	15	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,200/–		पदोन्नति
	(घ) सहायक लेखाकार	58	"ग"	5,200–20,200 ग्रेड पे0–2,800/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/ पदोन्नति
(7)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) मिनिस्ट्रीयल सेवा					
	(क) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	06	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,800/–		पदोन्नति
	(ख) प्रशासनिक अधिकारी	20	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,600/–		पदोन्नति
	(ग) प्रधान सहायक	52	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,200/–		पदोन्नति
	(घ) वरिष्ठ सहायक	160	"ग"	5,200–20,200 ग्रेड पे0–2,800/–		पदोन्नति
(8)	उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा					
	(क) सहायक नगर आयुक्त (कर एवं राजस्व)	02	"ख"	15,600–39,100 ग्रेड पे0–5,400/–		पदोन्नति
	(ख) कर निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी	08	"ख"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,800/–		पदोन्नति

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	आयु सीमा	भर्ती का स्त्रोत
	(ग) कर एवं राजस्व अधीक्षक	23	"ग"	9,300–34,800 ग्रेड पे0–4,200/–		पदोन्नति
	(घ) कर एवं राजस्व निरीक्षक	87	"ग"	5,200–20,200 ग्रेड पे0–2,800/–	नियम 09 के अनुसार	सीधी भर्ती/ पदोन्नति
	योग	800				

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **516/IV(1)/01(61)/2015 T.C.,** dated June 24, 2019 for general information:

No. 516/IV(1)/01(61)/2015 T.C.

Dated Dehradun, June 24, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by section 540 of Subsection (2) and Section 113 of Subsection (2) clause (a) and clause (f) (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Adaption and Modification order 2002) and Section 300 of Subsection (1) and Section 69 (b) Uttar Pradesh Municipal Act, 1916 (Adaption and Modification order 2002) and in supersession of earlier issued rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Urban Local Bodies (Centralised) Employees Service.

THE UTTARAKHAND PALIKA (CENTRALISED) EMPLOYEES SERVICES RULES, 2019

PART I

GENERAL

Short title and Commence-ment

1. (1) These Rules may be called "The Uttarakhand Urban Local Bodies (Centralised) Employees Service Rules, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. These Rules comprise of all posts of Urban Local Bodies Centralised Services Cadre in Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Scanned with CamScanner